GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 107
TO BE ANSWERED ON 10th March, 2025

PENSION FOR VETERANS

107 SMT. SAGARIKA GHOSE:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the total number of veterans from the Armed Forces who are receiving pensions from Government in the State of West Bengal;

(b) the total amount of pension fund allocated to these veterans from the State of West Bengal during the last three years;

(c) whether Government plans to increase pension for veterans;

(d) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor; and

(e) the steps taken by Government to ensure well being of veterans?

A N S W E R

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
(SHRI SANJAY SETH)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House

*****

.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 107 FOR ANSWER ON 10.03.2025 REGARDING "PENSION FOR VETERANS".

(a): As per records maintained on the SPARSH (System for Pension Administration (Raksha)) database, the total number of veterans from the Armed Forces who are receiving pensions in bank branches based in the State of West Bengal are 100285.

(b): The allocation of pension funds is done centrally and is not maintained state-wise.

(c) & (d): Review of basic pension is carried out based on recommendations of Pay Commissions and acceptance of the same by the Government. A Dearness Relief, which is assessed periodically, may result in increase in amount disbursed. Additionally, with effect from 01.07.2014, the Government has launched the One Rank One Pension (OROP) Scheme for Ex-Servicemen, that seeks to bridge the gap between the rates of pension of current and past pensioners at periodic intervals.

(e): The Government takes care of the well being of Veterans in the following ways: -

- (i) Disbursing a monthly pension, as due.
- (ii) Facilitating resettlement through Directorate General of Resettlement (DGR).
- (iii) Facilitating welfare schemes through Kendriya Sainik Board (KSB) which includes Rajya Sainik Boards (RSBs) and Zila Sainik Boards (ZSBs).
- (iv) Extending health care facilities through Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS).

*****

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 107
10 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु पेंशन

107. श्रीमती सागरिका घोष :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में सशस्त्र बलों के ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें सरकार से पेंशन प्राप्त हो रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य के इन सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु कुल कितनी पेंशन निधि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
रंक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री संजय सेठ)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

“सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु पेंशन” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 107 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): स्पर्श (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)) डाटाबेस पर रखे जा रहे रिकॉर्ड के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बैंक शाखाओं से पेंशन प्राप्त कर रहे सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल संख्या 100285 है।

(ख): पेंशन निधि का आवंटन केन्द्रीय स्तर पर किया जाता है और इसका राज्य-वार ब्योरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): बेसिक पेंशन की समीक्षा वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर और सरकार द्वारा इनकी स्वीकृति के बाद की जाती है। महंगाई राहत, जिसे आवधिक रूप से निर्धारित किया जाता है, के परिणामस्वरूप संवितरित राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिनांक 01.07.2014 से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) स्कीम शुरू की है, जो आवधिक अंतराल पर मौजूदा और पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन दर के मध्य अंतराल को पाटती है।

(ड.): सरकार निम्नलिखित तरीके से सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के उपाय करती है :-

(i) यथा देय मासिक पेंशन का संवितरण करती है।

(ii) पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के माध्यम से पुनर्वास को सुविधाजनक बनाती है।

(iii) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) जिसमें राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और जिला सैनिक बोर्ड (जैडएसबी) शामिल हैं, के माध्यम से कल्याणकारी स्कीमों को सुकर बनाती है।

(iv) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करती है।

*****

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: Sir, my first supplementary is this.There are numerous cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the hon. Minister kindly answer why the Ministry of Defence routinely challenges virtually all Armed Forces Tribunal (AFT) judgments in favour of veterans when it comes to granting disability pensions.

श्री संजय सेठः महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीया सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री, माननीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए और उनकी हर समस्या को सुलझाने के लिए कटिबद्ध है।

डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने सैनिकों, उनके परिवारजनों, उनके कल्याण और सुख-सुविधा को उसी तत्परता से, जिस प्रकार से हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस की आवश्यकताओं, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए। मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... क्योंकि हमारे सैनिक, वेटरन्स ...(**व्यवधान**)... पूर्व सैनिक 140 करोड़ देशवासियों के लिए नेशन फर्स्ट एवं राष्ट्रीयता के भाव से काम करते हैं। महोदय, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा थाः

"ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है।
इसकी नदी नदी गंगा है
इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है।
हम जियेंगे तो भारत के लिए
मरेंगे तो भारत के लिए।"

...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सेठः महोदय, सांसद दीदी ने जो प्रश्न किया है, मैं उनके प्रश्न के जवाब में बताना चाहता हूं कि यदि कोई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की invalidated out of service on account of disability हो, यानी उसे अपने नॉर्मल कार्यकाल से पहले किसी disability के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है और वह disability और मिलिट्री सर्विस या तो attribute हो या

aggravated हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्एबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में, यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस न भी की हो, तब भी उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक service element calculate किया जाता है। उसकी disability को देखते हुए एक disability element भी calculate किया जाता है। इन दोनों elements को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिस्एबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है।

महोदय, एक दूसरी श्रेणी में भी disability element दिया जाता है। उसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, तो disability या impairment relief, जो बीस प्रतिशत से अधिक है, मिलिट्री सर्विस को attribute हो या उससे aggravated हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ-साथ disability element या impairment relief भी दिया जाता है। क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है और यदि ड्यू हो, तो डिस्एबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है।

मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि disability पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजन्स में well laid out procedure और रूल्स हैं, जिनके अनुसार ही उनको यह दिया जाता है।

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: Sir, I thank the hon. Minister but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe, he should prepare better for questions relating to the Defence Ministry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Go to your second supplementary question.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: My question was about why the Defence Ministry keeps challenging petitions of disability. My second supplementary question is this. The Government has shifted pension dispersal to the SPARSH portal. However, this portal suffers from repeated glitches and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience. Is the Ministry planning to make the SPARSH portal more user-friendly for pensioners and by when can we expect these improvements?

श्री उपसभापतिः प्लीज़, अपनी सीट पर बैठिए। ...(**व्यवधान**)... No comments from your seat please. *...(Interruptions)...* आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... No comments while sitting please. *...(Interruptions)...*

श्री संजय सेठः उपसभापति महोदय, माननीय सांसद ने एक प्रश्न पूछा है। हम SPARSH portal लाए हैं। SPARSH portal is System for Pension Administration (RAKSHA) and a transparent pension online section. यहां भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने डिजिटल किया है। ...(**व्यवधान**)... मैं कहना चाहूंगा कि यह veteran भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन में अपनी eligibility और details को रीयल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने

मैन्युल सिस्टम में नहीं है। ...(**व्यवधान**)... जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए गए अपने डेटा को SPARSH में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डेटा की डिस्क्रिपेंसीज़ पता चलती हैं और वे शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और सिंगल विंडो सिस्टम है। ...(**व्यवधान**)... परंतु इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ...(**व्यवधान**)... ये शिकायतें हमारे पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। ...(**व्यवधान**)... पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पर डेटा अपडेट किया जा रहा है। इससे पेंशनर्स के grievance जल्दी से resolve हो सकेंगे और उनकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन smoothly चलती रहेगी। ...(**व्यवधान**)... हमारे पेंशन विभाग द्वारा देश में 199 SPARSH Seva Kendra चलाए जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा Common Service Centre और India Post Payments Bank outlets पर भी यह सेवा उपलब्ध है। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने MoU साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पेंशन डेटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... SPARSH portal से शिकायत दर्ज करने के अलावा वे pensioner portal अथवा e-mail के माध्यम से अपनी पेंशन संबंधी grievance भेज सकते हैं। इन शिकायतों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। Ministry के Department of Ex-servicemen Welfare, New Delhi और पेंशन कार्यालय, प्रयागराज में dedicated pension grievance cell है, जहां pensioner अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करवा सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... हम कह सकते हैं कि SPARSH portal की स्थापना के समय से अब तक यह portal अच्छी तरह से चल रहा है। माननीय सांसद ने ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः संक्षिप्त उत्तर दीजिए।

श्री संजय सेठः जी, सर। माननीय सांसद ने जो पूछा है, मैं उनसे सहयोग चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप जिस राज्य से आती हैं, वहां पर आप नजर उठाकर देखो। ...(**व्यवधान**)... ESMs का वेलफेयर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की joint responsibility है। ...(**व्यवधान**)... केंद्र सरकार veterans welfare को प्राथमिकता दे रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सेठः बंगाल में यह देखा जा रहा है कि veterans के प्रति casual approach अपनाई जा रही है। ...(**व्यवधान**)... मेरा यह आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में 14 जिलों में जेएसबी है, जो बंगाल के 23 जिलों को कवर करते हैं। 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मेरा आग्रह है कि वे पश्चिमी बंगाल में 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनवाएँ। ...(**व्यवधान**)... सैनिक बोर्ड, जहाँ पूरे साल में एक बैठक होती है, पश्चिमी बंगाल में 2015 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई।

...(**व्यवधान**)... ये क्या veterans की बात करेंगे! ...(**व्यवधान**)... मेरा तो मानना है कि 2015 के बाद जो बैठक नहीं हुई है, माननीय सांसद उस बैठक को करवाने का काम करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री संजय सेठः उपसभापति महोदय, एक बहुत मूल प्रश्न है। मैं उनको सुझाव दे रहा हूँ। आप veterans की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के posts की vacancies ESM quota से भरी जाती हैं। पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने ग्रुप सी में ESM के लिए 5 परसेंट और ग्रुप डी के लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन के लिए notify किया है। ...(**व्यवधान**)... अफसोस यह है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़। मैं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रीगण से आग्रह करूँगा कि जैसे सवाल संक्षिप्त हों, उत्तर भी संक्षिप्त हों। Please. *...(Interruptions)... Mananiya,* Shrimati Rajani Ashokrao Patil; third supplementary.

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Sir, I would like to ask through you... *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* रजनी जी, आप बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए।

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: I would like to ask through you to the hon. Minister as to what measures are in place to address anomalies or grievances arising from the implementation of One Rank One Pension (OROP) Scheme.

श्री संजय सेठः माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ, यह प्रमुख जानकारी है, सदन को जानकारी होनी चाहिए कि जब 1971 में बंगलादेश के साथ युद्ध हुआ, तो 1972 से ही OROP लागू करने के लिए डिमांड होती रही। उन्होंने 42 साल इंतजार किया। OROP किसने लागू किया? OROP मोदी जी ने लागू किया। मैं कह सकता हूँ कि One Rank One Pension (OROP) स्कीम का उद्देश्य यह है कि यह वर्तमान और पूर्व पेंशनर्स के बीच पेंशन रेट्स के अंतर को समय-समय पर दूर करता है। 7.11.2015 के गवर्नमेंट ऑर्डर की मुख्य विशेषता यह हैः पहला, पूर्व पेंशनर्स की पेंशन को 2013 के कैलेंडर वर्ष के रिटायर कर्मियों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा और यह लाभ 1.07.2014 से प्रभावी होगा। यही मोदी की गारंटी है! सभी पेंशनर्स की पेंशन 2013 में समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ रिटायर कर्मियों की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के एवरेज के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी। यही मोदी की गारंटी है! जो पेंशनर्स एवरेज से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन को protect किया जाएगा और बकाया राशि चार समान छमाही किस्तों में दी जाएगी।

हालाँकि सभी पारिवारिक पेंशनर्स, जिनमें स्पेशल पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले और वीरता पुरस्कार विजेता शामिल हैं, उनको एक ही किस्त में बकाया राशि पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। पेंशन हर 5 साल में पुनः निर्धारित की जाएगी। पिछले या वर्तमान पेंशनर्स की पेंशन दरों के बीच गैप को हर 5 साल में OROP के तहत नियम के अनुसार bridge किया जाता है। OROP-1 लागू होने के बाद पुराने और नए रिटायर सैनिकों की पेंशन का अंतर काफी कम हुआ। Normally, यह 2014, 2019 और 2024 में होता, लेकिन सातवें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 1.01.2016 से इन सभी पेंशनर्स की पेंशन 2.57 गुना बढ़ा दी गई। इससे भी gap bridge हो गया। इस कारण OROP-2 के लाभार्थियों की संख्या OROP-1 से कम हो गई। OROP से संबंधित हमारे सैनिकों की जितनी भी माँगें थीं, उन सभी माँगों को सुलझा दिया गया है। यहाँ हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। उनके नेतृत्व में हम committed हैं। जैसा कि आपको यह ज्ञात होगा कि 5 साल में इसे revise किया जाता है, लिख लीजिए, अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

श्री उपसभापतिः माननीया श्रीमती जया अमिताभ बच्चन।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः सर, मैं यह आपसे जानना चाहती हूँ..

श्री उपसभापतिः नहीं। अगर आप question पूछेंगी, तो माननीय मंत्री जी उसका उत्तर बताएँगे।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः सर, मैं वही कह रही हूँ कि मंत्री जी सवाल का जवाब दें। क्या मंत्री जी पेपर पढ़ कर जवाब देंगे?

श्री उपसभापतिः धन्यवाद।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः उन्हें यहाँ तैयार होकर आना चाहिए।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, यह आपका सुझाव है।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः मैं पूछना चाहती हूँ।

श्री उपसभापतिः जी।

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः ये जो सारे सवाल - 1, 2, 3 पूछे गए हैं, उनका जवाब पहले दे दीजिए, प्लीज़।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)... यह सवाल नहीं है, माननीया जया जी का विचार है। ...(**व्यवधान**)... माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल। ...(**व्यवधान**)... माननीय श्री शंभू शरण पटेल। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेलः माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न संख्या 107 के सम्बन्ध में एक supplementary question पूछने का निर्देश दिया है, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के वीर सैनिकों के कल्याण के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने क्रांतिकारी और सराहनीय कार्य किए हैं। जैसा अभी बताया गया है, वर्तमान में पूर्व सैनिक ECHS और स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 59 लाख लाभार्थियों को cashless उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि बिहार में सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सशस्त्र बलों के कुल कितने veteran हैं और उनके लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं?

श्री संजय सेठः उपसभापति महोदय, ESMs और उनके dependents की KSB द्वारा संचालित welfare scheme के माध्यम से DGR द्वारा resettlement के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बिहार के अंदर 1 लाख, 8 हजार ESMs हैं। 2023-24 में राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड में सेंट्रल शेयर 1 करोड़, 41 लाख रुपये है। बिहार राज्य में 13 जिला सैनिक बोर्ड हैं, 18 ECHS Polyclinics हैं और एक sanction हो गया है, तो अब उनकी संख्या 19 हो गई है। 2024 में एक नया Polyclinic स्वीकृत हुआ है, जो पटना में है। उसको भी हमने upgrade किया है। 2024 में दानापुर वाले का भी upgradation हुआ है और उसको हमने 'सी' ग्रेड से 'ए' ग्रेड में कर दिया है। ECHS-empanelled hospitals 48 हैं और बिहार में number of ECHS beneficiaries 2 लाख, 19 हजार हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Last supplementary question, Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will ask a very pertinent question which is very important. The Minister has detailed the welfare measures for the ex-servicemen. My question is very specific. What is the total amount outstanding due to the private hospitals under ECHS? Is it a fact that because of the outstanding amount, many hospitals have left out of this scheme voluntarily? Please let the House know the total amount pending and also the number of hospitals which have moved out of this scheme during the last seven years?...(*Interruptions*)...

श्री संजय सेठः उपसभापति महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया है, वह मूल प्रश्न से संबंध ही नहीं रखता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we move on to Question No. 108. Shri Neeraj Shekhar.